महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–402/एक–11–2021–04(जी)/2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2021**

विषयः– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग–11 की अधिसूचना संख्या–यू0ओ0–20/एक–11–2018–04 (जी)/2015, दिनांक 02–08–2018, जिसके द्वारा अन्य के साथ बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजस्व अनुभाग–11 की उपर्युक्त संदर्भित सूचना दिनांक 02 अगस्त, 2018 के कम में राहत आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 के पत्र संख्या–133/रा0आ0का0/2019–20, दिनांक 06 जून, 2019 द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचक बल द्वारा बोरवेल दुर्घटनाओं के प्रबंधन हेतु तैयार किये गये स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की प्रति प्रेषित करते हुए बोरवेल की दुर्घटनाओं को रोकने तथा प्रबंधन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

3– प्रायः यह देखने में आ रहा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल के खुले रह जाने के कारण उससे दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रसंगवश दिनांक 14.06.2021 को जनपद आगरा के ग्राम धरियाई में खेलते समय 3–4 वर्ष आयु का बालक करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया जिसे सेना/एनडीआरएफ एवं अन्य लोगों के विशेष प्रयास से बचाया जा सका। अतएव उक्त के दृष्टिगत बोरवेल में गिरने की घटनाओं को रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

4– अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बोरवेल से होने वाली दुर्घटना को रोके जाने के दृष्टिगत दिनांक 20 जून, 2021 से 30 जून, 2021 के मध्य सघन अभियान चलाकर **असुरक्षित बोरवेल की जॉच/चिन्हांकन कराकर उसको सुरक्षित करते हुये**, इसकी सूचना निर्धारित संलग्न प्रारूप पर राहत आयुक्त कार्यालय की ई मेल आईडी rahat@.nic.in को अभियान की समाप्ति पर प्रेषित करें। अभियान की समाप्ति के बाद भी समय–समय पर बोरवेल की नियमित रूप से निगरानी कराते रहें। इस कार्य हेतु लेखपाल, ग्राम प्रधानों/ग्राम सचिवों, वीट सिपाहियों/सुपरवाइजर/सफाई कर्मियों को लगाकर यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके जनपद में कहीं भी कोई भी बोरवेल/मेन होल खुला न रहे।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

17/6/21

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

GO-R-11/2021-239

संख्या– 472(1)/एक–11–2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह, बेसिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायतीराज, सिंचाई, ऊर्जा, ग्राम्य विकास, नगर विकास, कृषि, भूमि विकास एवं जल संसाधन, वन, लघु सिंचाई, खाद्य एवं रसद, पशुधन एवं मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. राजस्व अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन को shasnadesh.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

GO-R-11/2021-231

पत्र संख्या– 402/एक–11–2021–04(जी)/2015, दिनांक 17 जून, 2021 का संलग्नक

प्रारूप

क्रम	जनपद का नाम	दिनांक	अभियान में चिन्हित असुरक्षित बोरवेल की संख्या	अभियान के अन्तर्गत चिन्हित असुरक्षित बोरवेल जिन्हें सुरक्षित किया गया	सुरक्षित किये जाने हेतु अवशेष बोरवेल की संख्या